रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद्र 22, 1940
No. 636] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 870(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 528(अ) तारीख 6 जून, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 6 जून, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 92 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) जब कोई भाग, संघटक या संयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानक इन नियमों में अधिसूचित मानक के स्थान पर अर्थात् ईईसी या ईसीई या जापानी की अनुपालना करता है, ऐसे भाग, संघटक या संयोजन की अनुपालना को किसी प्राधिकृत अभिकरण या प्रत्यायित प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी सुसंगत मानक के अनुपालन प्रमाणपत्र के लिए नियम 124 और नियम 126 के प्रयोजन के लिए स्थापित समझा जाएगा ।"।

3. उक्त नियमों के नियम 126 के दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि यान विनिर्माता, जो अनुप्रयुक्त पूर्णतया निर्मित इकाईयों (सीबीयू) या पूर्णतया नॉक्ड डाउन इकाईयों (सीकेडी), जो दांए हाथ के स्टियरिंग नियंत्रण यान है, का प्रत्यक्षत: या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से यथास्थिति, एम 1 या एल प्रवर्ग के यानो की 2500 इकाईयों का और अन्य प्रवर्गों के यानों की 500 इकाईयों का आयात करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक अर्थात् ईईसी या ईसीई या जापानी मानकों का अनुपालन करते हैं, ऐसे यानों की अनुपालना को किसी प्राधिकृत अभिकरण या प्रत्यायित प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी सुसंगत मानक अनुपालन प्रमाणपत्र द्वारा नियम 47 के अधीन विक्रय और रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थापित किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह भी कि दांए हाथ के स्टियरिंग नियंत्रण वाले अनुप्रयुक्त यानों के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक, अर्थात् ईईसी या ईसीई या जापानी मानक के हैं, जिनका भारत में पूर्णतया निर्मित इकाईयों (सीबीयू) के रूप में वैयक्तिक उपयोग, प्रदर्शन, परीक्षण, अनुसंधान या वैज्ञानिक कार्यों के लिए आयात किया जाता है, ऐसे यानों की अनुपालना को किसी प्राधिकृत अभिकरण या प्रत्यायित प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी सुसंगत मानक अनुपालना प्रमाणपत्र द्वारा नियम 47 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थापित समझा जाएगा :

परंतु यह भी कि संनिर्माण उपस्कर यान (सीईवी) का स्टियरिंग नियंत्रण किसी भी एक तरफ हो सकेगा :

परंतु यह भी कि ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस), किस्म अनुमोदन प्रक्रिया 115/116, भारतीय मानक (आईएस) और मानकीकरण मानक अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएसओ) जिनको केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन अधिसूचित किया गया है, के शुद्धिपत्र, संशोधन या पुनरीक्षण पुनरीक्षण से निपटने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया एआईएस-000 : 2013 के अनुरूप होगी ।"।

[फा. सं. आरटी-11036/82/2017-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पणः— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 749 (अ), तारीख 7 अगस्त, 2018 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2018

G.S.R. 870(E).— Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R. 528 (E), dated the 6th June, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 6th June, 2018;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) **Short title and commencement**.- These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 92, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely. –

"(3) Whenever a part, component, or assembly is compliant with the international standard namely, EEC or ECE or Japanese, in lieu of the standard notified in the rules, the compliance of such part, component or assembly shall be deemed to be established for the purpose of rules 124 and 126, by a certificate of compliance for the relevant standard issued by an authorised agency or accredited certifying agency.".

3. In the said rules, in rule 126, for the second proviso, the following shall be substituted, namely: -

"Provided further that in respect of vehicle manufacturer, importing into India unused completely built units (CBU) or completely knocked down units (CKD) of right-hand steering control vehicles, directly or through their authorised representative, up to 2500 units of M1 or L category of vehicles, as the case may be, and up to 500 units of other categories of vehicles annually, compliant with the international standard, namely EEC or ECE or Japanese, the compliance of such vehicles shall be deemed to be established for sale and registration under rule 47, by a certificate of compliance for the relevant standard issued by an authorized agency or accredited certifying agency:

Provided also that in respect of unused right-hand steering control vehicles compliant with the international standard namely, EEC or ECE or Japanese, imported into India as completely built units (CBU), for the purpose of personal use, demonstration, testing, research or scientific work, the compliance of such vehicles shall be deemed to be established for registration under rule 47, by a certificate of compliance for the relevant standard issued by an authorised agency or accredited certifying agency:

Provided also that the construction equipment vehicles (CEV) may have steering control on either of the side:

Provided also that the administrative procedure to deal with corrigendum, amendments or revisions to Automotive Industry Standards (AIS), Type Approval Procedures 115/116, Indian Standards (IS) and International Organisation for Standardisation (ISO) standards, which are notified under the Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall be in accordance with AIS-000: 2013.".

[F. No RT-11036/82/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),*vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 749(E) dated the 7th August, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.19 12:36:04 +05'30'